

सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/ बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 08.07.2025

जनपद आजमगढ़

01.थाना अतरौलिया: हत्या के प्रयास में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.07.2025 को रात्रि करीब 08 बजे हिस्सा बंटवारे की बात को लेकर वादी मुकदमा संजीव कुमार पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी सघनपट्टी थाना-अतरौलिया जनपद- आजमगढ़ व उसकी पत्नी अनीता को विपक्षीगण 1. विकास कुमार पुत्र बृजभूषण 2. इन्द्रेण कुमार पुत्र बृजभूषण 3. बृजभूषण पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासीगण सघनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा गाली गुप्ता देते हुए धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से वार कर देने के सम्बन्ध में वादी संजीव कुमार की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 06.07.2025 को मु0अ0सं0 230/25 धारा 115(2)/352/351(2)/109(1) बीएनएस बनाम 1. विकास कुमार पुत्र बृजभूषण 2. इन्द्रेण कुमार पुत्र बृजभूषण 3. बृजभूषण पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासीगण सघनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 07.07.2025 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार व पुलिस टीम के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त को उनके घर ग्राम सघनपट्टी से उनके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार समय 11.15 बजे हिरासत पुलिस लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 230/25 धारा 115(2)/352/351(2)/109(1) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

- 1- विकास कुमार पुत्र बृजभूषण उम्र 22 वर्ष
2. इन्द्रेण कुमार पुत्र बृजभूषण उम्र 25 वर्ष
3. बृजभूषण पुत्र स्व0 श्यामलाल उम्र 50 वर्ष निवासीगण सघनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।
2. हे0का0 राममूरत यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 धर्मेन्द्र गुप्ता थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

02. थाना- सिधारी: चोरी के 02 पायल, नकदी व अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक- 07.07.2025 को वादी मुकदमा अनूप प्रजापति पुत्र कैलाश प्रजापति साकिन भागमलपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा एक किता तहरीर हिन्दी लिखित बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में दीवार काटकर घर में रखा बक्सा तोड़कर उसके अंदर रखा सामान नाक की कील सोने की 3 पीस, नथिया सोने की 1 पीस व 2 जोड़ी चांदी की पायल तथा 30000/- रुपया

नगद चुरा ले जाने के सम्बंध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0478/2024 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 07.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक सिधारी शशिचन्द चौधरी, उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी, उ0नि0 संतोष वर्मा मय हमराह द्वारा झारखण्डे मंदिर के पास बहदग्राम मुहम्मदल्ला से अभियुक्त शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू पुत्र एकलाख कुरैशी उर्फ लखवू ग्राम धमऊर थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र करीब 28 वर्ष को मुखबिर के सूचना पर समय 05.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के पास 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस व चोरी का 02 अदद पायल सफेद धातु व 5000/- रूपया नगद बरामद हुआ।

अनावरण अभियोग का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 478/24 धारा- 331(4)/305 बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़
- 2- 2 अदद पायल सफेद धातु व 5000/- रूपया नगद।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस
2. 2 अदद पायल सफेद धातु व 5000/- रूपया नगद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1- शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू पुत्र एकलाख कुरैशी उर्फ लखवू ग्राम धमऊर थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र करीब 28 वर्ष गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 148/22 धारा 395/397/412 भादवि थाना अकबरपुर अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0सं0- 96/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना टाण्डा अम्बेडकरनगर
3. मु0अ0सं0- 380/22 धारा 307/379/411 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 230/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बरदह आजमगढ़
5. मु0अ0सं0- 326/22 धारा 147/149/307/332/353/504 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
6. मु0अ0सं0- 28/20 धारा 380/411 भादवि थाना केराकत जौनपुर
7. मु0अ0सं0- 455/19 धारा 380/411 भादवि थाना केराकत जौनपुर
8. मु0अ0सं0- 457/19 धारा 323/336/380/411 भादवि थाना केराकत जौनपुर
9. मु0अ0सं0- 26/20 धारा 379/411 भादवि थाना मछलीशहर जौनपुर
10. मु0अ0सं0- 45/21 धारा 307/336/504/506 भादवि थाना कटका अम्बेडकरनगर
11. मु0अ0सं0 478/24 धारा- 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़
12. मु0अ0सं0- 334/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0- 334/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. शशिचन्द चौधरी प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 जावेद सिद्दीकी थाना सिधारी आजमगढ़
3. उ0नि0 संतोष वर्मा थाना सिधारी आजमगढ़
4. कां0 धनन्जय राय थाना सिधारी आजमगढ़
5. कां0 प्रभाकर सहाय गुप्ता थाना सिधारी आजमगढ़

6. कां0 इन्दल कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
7. कां0 सिद्धार्थ कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

जनपद –मऊ

1. ईंट खरीदने के नाम पर आनलाइन धोखाधड़ी कर मोबाइल हैक कर आवेदक के खाते से धनराशि निकाली गयी कुल धनराशि 16000 (सोलह हजार) रुपये थाना रानीपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना रानीपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए ईंट खरीदने के नाम पर आनलाइन धोखाधड़ी कर मोबाइल हैक कर आवेदक के खाते से धनराशि निकाली गयी, पीडित विनोद यादव पुत्र श्रीबैजनाथ यादव निवासी उशरी थाना रानीपुर मऊ के 16,000 रुपये आवेदक के कुल धनराशि 16,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना रानीपुर के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, उ.नि. रामाज्ञा कुमार (नोडल अधिकारी), क0आ0 अब्दुल रब (टेक्निकल सपोर्ट), म0का0 सरोज सिंह (मेम्बर), म0का0 प्रियंका मिश्र (मेम्बर) थाना रानीपुर जनपद मऊ।

2. गुमशुदा/खोए कुल तीन मोबाइल फोन लगभग 54,000 (चौवन हजार) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुहम्मदाबाद व रामपुर साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना मुहम्मदाबाद में गुमशुदा एक मोबाइल वनप्लस लगभग 30,000 (तीस हजार) रुपये आवेदक अवनीश मिश्रा पुत्र बागीश चन्द्र मिश्रा निवासी कैथवली थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ व थाना रामपुर में गुमशुदा दो मोबाइल रियलमी लगभग 24,000 रुपये कीमती को बरामद कर उनके स्वामी को सुपुर्द किया गया। जिसमें आवेदक संतोष कुमार पुत्र स्व0 रामधारी नि0 गुरुम्हा थाना रामपुर जनपद मऊ, मनोज मौर्य पुत्र स्व0 रामभवन मौर्य नि0 ढिलई फिरोजपुर थाना रामपुर जनपद मऊ। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मुहम्मदाबाद थाना रामपुर के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र नाथ राय थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
2. क0आ0 संजय गुप्ता थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
3. का0 दयानाथ मौर्य थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
4. का0 लवकुश थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

जनपद – बलिया

1.थाना नरही जनपद बलिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म, हत्या व पाक्सो एक्ट से सम्बंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (दक्षिणी) बलिया श्री कृपा शंकर के कुशल पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी सदर श्री मो0 उस्मान के नेतृत्व में नरही पुलिस को मिला सफलता ।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 07.07.2025 को प्र0नि0 नरही नदीम अहमद फरीदी मय हमराह हे0का0 मो0 शकीर व का0 रोहित कुमार मौर्य के रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित/वारण्टी व पेण्डिंग विवेचना में नरही चट्टी पर मामूर थे कि मुखबीर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 161/2025 धारा 108, 70(2), 351(3) BNS व 5(G)(m)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)v SC/ST Act थाना नरही जनपद बलिया से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामजी राय उर्फ बबलू राय उर्फ कवि पुत्र बालेश्वर राय उर्फ सुताई राय निवासी ग्राम टुटुवारी थाना नरही जनपद बलिया उम्र लगभग 53 वर्ष को बैरिया तिराहा से समय करीब 13.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 161/2025 धारा 108,70(2),351(3) BNS व 5(G)(m)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)v SC/ST Act

बरामदगी का विवरण

1. 01 अदद VIVO मोबाइल आसमानी रंग ।
2. 100-100 रुपये की दो नोट कुल 200/- रुपया ।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता-

रामजी राय उर्फ बबलू राय उर्फ कवि पुत्र बालेश्वर राय उर्फ सुताई राय निवासी ग्राम टुटुवारी थाना नरही जनपद बलिया ।